

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं०-0612-2215041, email-scdlsability2008@gmail.com
Website : scdlsabilities.org

पत्रांक-सं०-06/रा०आ०नि०(कोविड)-01/2019-.....

4.19/अपरा नि०को०

दिनांक-13 अप्रैल 2021

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-जिला अपर आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार

विषय :-

कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत दिनांक-24.04.2021 (शनिवार) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Google Meet/Hangout/अन्य) के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन लोक अदालत के तहत सुनवाई के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

- (1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- (2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 की वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश।

महाशय,


उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ प्रदान करते हुए आपका ध्यान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 (COVID-19) के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जारी किए गए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों के आलोक में भारत सरकार ने कोविड19 (COVID-19) से उत्पन्न स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभावना के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

उपर्युक्त संदर्भ में इस अवधि के दौरान लगातार विविध स्तरों/विषयों/विषय विशेषज्ञों/प्रशासनिक स्तरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में विशिष्ट मामलों को हल किए जाने का प्रयास किया गया है।

बिहार के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजनों की शिकायत हेल्पलाइन नं०-8448-385590, ई-मेल, फोन, मोबाइल मैसेज एवं व्हाट्सएप के माध्यम से आ रही है। ज्यादातर समस्या राशन, पेंशन एवं पुनर्वास से सम्बन्धित है।

संपादित विविध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरभाष माध्यम से कार्यालय के टेलीफोन व अधोहस्ताक्षरी के मोबाइल व कार्यालय के हेल्पलाइन नम्बर तथा कार्यालय के वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों पर सम्यक विचारोंपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोविड19 (COVID-19) की वजह से वर्तमान में जारी लॉकडाउन अवधि के दौरान दिव्यांगजनों से सम्बद्ध विशिष्ट मामलों के जानकारी सम्यक निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कृ०प०उ०.....



सुनवाई की तिथि दिनांक-24.04.2021 (शनिवार), समय पूर्वा 11:00 बजे से अप 02:00 बजे तक निर्धारित की जा रही है। इस सुनवाई के दौरान दिव्यांगजन निम्न प्रक्रियानुरूप अपनी शिकायत वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

- (1) दिव्यांगजन/दिव्यांगजन संघ लिखित शिकायत की प्रति संलग्न करते हुए अपने मोबाइल नम्बर के माध्यम से कार्यालय के वेबसाइट <https://www.scdisabilities.org/online-complaints.php>, ई-मेल scdisability2008@gmail.com अथवा अधोहस्ताक्षरी के व्हाट्सएप नम्बर 7004710584 पर रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आवेदन करेंगे।
- (2) सुनवाई की निर्धारित तिथि को नियत समय से पूर्व उन्हें अधोहस्ताक्षरी से जुड़ने के लिए आवश्यक कोड विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) सुनवाई के दौरान दिव्यांगजन व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायत अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेंगे एवं इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की पृच्छा का जबाब दे सकेंगे।

दिव्यांगजनों के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत में प्रत्येक जिले के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग अपने जिले के सम्बन्ध में नोडल पदाधिकारी के रूप में भाग लेंगे।

अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजनी
13.04.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।
दिनांक-13 अप्रैल 2021

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-419/आठ सिठ कोठे

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

13.04.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।
दिनांक-13 अप्रैल 2021

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-419/आठ सिठ कोठे

प्रतिलिपि:-सभी सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को दिव्यांगजनों के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Google Meet/Hangout/अन्य) के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13.04.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।
दिनांक-13 अप्रैल 2021

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-419/आठ सिठ कोठे

प्रतिलिपि:-सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

13.04.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।
दिनांक-13 अप्रैल 2021

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-419/आठ सिठ कोठे

प्रतिलिपि:-सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित दिशानिर्देश बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.04.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-.....

दिनांक-.....अप्रैल'2021

प्रतिलिपि:-दिव्यांगता प्रक्षेत्र कार्यरत व इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठन को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजनों के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Google Meet/Hangout/अन्य) के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत के दौरान अपने मामले की सुनवाई हेतु परिवादी दिव्यांगजनों को, यदि कोई हो, इस सम्बन्ध में जागरूक करने की कृपा करें।

genu
12.04.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-.....

दिनांक-13 अप्रैल'2021

प्रतिलिपि:-विविध स्तरीय दिव्यांगजन समूहों एवं जिला दिव्यांगजन अभिभावक समूहों के प्रतिनिधि तथा दिव्यांगजन को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजनों के लिए वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Google Meet/Hangout/अन्य) के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले उक्त लोक अदालत के दौरान अपने मामले की सुनवाई हेतु परिवादी दिव्यांगजनों को, यदि कोई हो, इस सम्बन्ध में जागरूक करने की कृपा करें।

genu
12.04.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-.....

दिनांक-13 अप्रैल'2021

प्रतिलिपि:-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपनी स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

genu
12.04.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-.....

दिनांक-13 अप्रैल'2021

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

genu
12.04.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-.....

दिनांक-13 अप्रैल'2021

प्रतिलिपि:-सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

genu
13.04.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-.....

दिनांक-13 अप्रैल'2021

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

genu
13.04.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0(कोविड)-01/2019-.....

दिनांक-13 अप्रैल'2021

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 के विषय में जारी व्हीपक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

genu
13.04.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।